

जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 26-04-2021

आज दिनांक 26.04.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा० कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

थाना महुली पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **डा० कौस्तुभ** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री अम्बरीष भदौरिया** के निकट पर्यवेक्षण मे अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत **थानाध्यक्ष महुली श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह** के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा मु०अ०सं० 127 / 2021 धारा 147/148/149/323/504/307 भादवि में वांछित 02 अभियुक्त नाम पता 1- बलिराम पुत्र अवधेश, 2- प्रभाकर पुत्र अनिरुद्ध निवासीगण बनकटिया थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 16.04.2021 को चुनावी रंजिश को लेकर लाठी डण्डों व अवैध असलहे से लैस होकर वादी सुनील यादव पुत्र रामसेवक यादव, कृष्ण मोहन पाण्डेय आदि के साथ मारपीट की गयी, मारपीट के दौरान जितेन्द्र गुप्ता पुत्र बालेदीन उर्फ रामकरन द्वारा अवैध 32 बोर पिस्टल से फायर किया गया जिसकी गोली आशुतोष यादव की जाँघ में जाकर लगी जिनको थाना महुली पुलिस द्वारा इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। तत्काल विधिक कार्यवाही करते हुए थाना महुली पर 09 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था उक्त घटना में समलित 03 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है उक्त घटना में वांछित अभियुक्तों को आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ०नि० श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह (थानाध्यक्ष) मय हमराय

कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा अपहृता बरामद

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 263 / 2021 धारा 363 / 366 भादवि से संबंधित अपहृता को सकुशल बरादम कर परिजनों के सुपुर्द किया गया। विदित हो कि उक्त अभियोग से संबंधित अपहृता को दिनांक 12.04.2021 को अपहृत कर लिया गया था जिस संबन्ध में कोतवाली

खलीलाबाद पर अभियोग पर्जीकृत किया गया था, उक्त अपहृता को कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 21.04.2021 को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम:- प्रभारी पुलिस चौकी तितौवा उ0नि0 श्री आशुतोष मणि त्रिपाठी, म0हे0का0, आरती पाण्डेय ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 12 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1484 द्वारा मारपीट / विवाद में घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल- पीआरवी 1484 को थाना थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत खैरा इवेन्ट संख्या 05111 से कालर ने दो पक्षों के बीच मारपीट / विवाद होने से एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा समय सॉ पहुंचकर मारपीट / विवाद में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस 108 से अस्पताल पहुंचाया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्ति द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 राधिका प्रसाद, आ0 मिथलेश यादव, हो0चा0 राजेश कुमार ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 44 वाहनो से 40500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 26.04.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 44 वाहनो से 40500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।